UPJB010033882025

Presented on : 30-05-2025
Registered on : 30-05-2025
Decided on : 07-08-2026
Duration : 1 years, 2 months, 8 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी– नसीमा ख़ानम...............(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0–363/2025

सरकार --------- अभियोजक।

बनाम

1. जीवन पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम ढकिया खादर, थाना रहरा, जनपद अमरोहा।

........................अभियुक्त।

अ0सं0–60/2025
धारा– 333, 64, 351(2)
बी.एन.एस. व
धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट।
थाना रहरा, जिला अमरोहा।

निर्णय

1- इस अभियोग का विचारण अभियुक्त जीवन के विरूद्ध संबंधित थाना रहरा जिला अमरोहा की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अपराध संख्या 60/2025 अंतर्गत धारा- 333, 64, 351(2) बी.एन्.एस. व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर प्रारम्भ हुआ।

2– **माननीय उच्तम न्यायालय की विधि व्यवस्था ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 (55) ए0सी0सी0 556 (सुप्रीम कोर्ट)** में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में पीड़िता के नाम का उल्लेख नही किया जा रहा है व इस निर्णय में उसके नाम के स्थान पर उसे पीड़िता से ही सम्बोधित किया जा रहा है।

Digitally signed by NASEEMA
Date: 2026.08.11 16:38:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि पीड़िता/वादिनी पत्नि राजू ग्राम ढकिया खादर थाना रहरा जिला अमरोहा की निवासी हूँ। पीड़िता/वादिनी रात के समय अपने घर पर अकेली सो रही थी पीड़िता/वादिनी का पति राजू भट्टे पर काम मजदूरी करने गया था तो कल रात्रि के समय करीब 10.00 बजे मेरे गाँव का जीवन पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम ढकिया खादर थाना रहरा जिला अमरोहा मेरे घर में घुस आया तथा मुझे जबरजस्ती दवा लिया और मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया मेरे शौर मचाने पर मौके से जान से मारने कि धमकी दी और भाग गया था। आज मेरे पति घर आया तो मैनें सारी घटना बतायी और अपने पति को साथ लेकर थाना आयी हूँ।

4- वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर संबंधित थाना की पुलिस द्वारा दिनांक 01.04.2025 को समय 19.12 बजे मु0 अ 0 सं0-60/2025 धारा 333, 64, 351(2), बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियुक्त उक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसका खुलासा कायमी जी0 डी0 सं0-47 में दिनांक 01.04.2025 को समय 19.12 बजे किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्री प्रहलाद को सुपुर्द की गयी।

5- विवेचक द्वारा मौके का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया, वादिनी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा मेडिकल प्रपत्रों का अवलोकन किया और विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जीवन के विरूद्ध धारा 333, 64, 351(2) बी.एन.एस. व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया ।

6- अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 26.06.2025 को धारा- 333, 64, 351(2) बी.एन.एस. व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के आरोप विरचित किये गए, जिनसे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7- अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया हैः-

1.	पी0 डब्ल्यू-1	वादिनी	पीड़िता
2.	पी0 डब्ल्यू-2	राजू	पी़डिता का पति
3.	पी0 डब्ल्यू-3	हरकिशन	पीड़िता का ससुर
4.	पी0 डब्ल्यू-4	किशनवती	पीड़िता की सास
5.	पी0 डब्ल्यू-5	डॉ0 जयश्री	चिकित्साधिकारी
6.	पी0 डब्ल्यू-6	अल्का	पीड़िता की मां

8- अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये-

1.	पी0 डब्ल्यू-1	प्रदर्श क-1 व क-2	घटना की तहरीर एवं 183 बीएनएसएस का बयान
2.	पी0 डब्ल्यू-2	प्रदर्श क-3 व क-4	मैडिकल रिपोर्ट एवं पूरक रिपोर्ट

9- इसके अतिरिक्त शेष अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र **प्रदर्श क-5,** प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क-6,** जी.डी.कायमी **प्रदर्श क-7,** नक्शा नजरी **प्रदर्श क-8 एवं** एक्सरे रिपोर्ट **प्रदर्श क-9** की प्रमाणिक सत्यता अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त उपरोक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को गलत बताते हुए अभियोजन प्रपत्रों को गलत साबित करना बताया, गवाहों के साक्ष्य के बारे में कुछ नहीं कहना बताया है और अपने विरूद्ध गलत फहमी से मुकदमा चलना तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कहा कि मैं निर्दोष हूं।

10- अभियुक्त की ओर से समर्थन में कोई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11- अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 31.03.2025 को समय 22.00 बजे स्थान ग्राम ढकिया खादर, थाना रहरा जिला अमरोहा में आपने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर गृह अतिचार कारित करते हुए उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार/बलात्संग किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया तथा अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए ये सब अपराध कारित किया।

धारा 333 बी.एन.एस. के अधीन यह प्रावधान है कि- जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 64 बी.एन.एस. के अधीन यह प्रावधान है कि- जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास

से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 351(2) बी.एन.एस. के अधीन यह प्रावधान है कि- जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अधीन यह प्रावधान है कि- यदि कोई व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी एससी/एसटी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसा अपराध करता है जो भारतीय दण्ड संहिता (या वर्तमान में लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समकक्ष प्रावधान) के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है।

12- अभियोजन की ओर से कुल 6 साक्षियों का परीक्षित कराया गया है जिसमें साक्षी पी0 डब्ल्यू-1 पीड़िता/वादिनी मुकमदा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मेरे पति राजू भट्टे पर मजदूरी का काम करते है। मेरे पति रात में भी भट्टे पर मजदूरी मेरे गांव के जीवन ने मेरे साथ मेरे घर में घुसकर गलत काम नही किया था। न ही मुझे जातिसूचक शब्दो के साथ गालियां दी। न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने अपने पति राजू को किसी भी घटना के संबंध में कोई बात नहीं बतायी थी। मै पढ़ी-लिखी नही हूँ मैं केवल अपना नाम लिखना जानती हूँ। मुझसे थाने पर एक कागज पर गांव वालो ने हस्ताक्षर करा लिये थे उस पर क्या लिखा था मुझे पढकर नही सुनाया था। थाने पर दी गयी तहरीर पत्रावली पर मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है पहचानती हूँ साबित करती हूँ जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पुलिस ने मुझसे थाने पर पूछताछ की थी डरा धमकाकर उन्होने कहा था कि जैसा हम बता रहे है वैसे ही वयान तुम्हे देने है। मैंने उनके बताये अनुसार ही बयान दिये थे। मेरा पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया था। पुलिस ने मेरे न्यायालय में 183 BNSS के बयान मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष कराये थे। माननीय न्यायालय की अनुमति से 183 BNSS के बयानो का लिफाफा जिस पर बयान पीडिता श्रीमति भूमि पत्नी राजू निवासी ग्राम ढकिया खादर आदि अंकित है को खोला गया जिसके अन्दर से एक लिफाफा दो प्रार्थना पत्र व एक 183 BNSS का बयान निकला पीडिता को बयान पढकर सुनाया तो पीडिता ने कहा कि यह वही बयान है जिस पर मेरा फोटो लगा है और हस्ताक्षर भी अंकित है जिसे मैंने मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष दिया था यह बयान मैने लोगो के सिखाये में आकर दे दिया था। जब बयान

हुआ था तब मै मजिस्ट्रेट के कक्ष में अकेली थी बयान पत्रावली पर मौजूद है पहचानती हूँ साबित करती हूँ जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

अभियोजन के निवेदन इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

13- अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू-2 राजू ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं पहले भट्टे पर मजदूरी करता था अब मैं प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता हूँ। दिनांक 31.03.2025 को मैं भट्टे पर मजदूरी कर रहा था उस दिन रात को मैं भट्टे पर था। मेरी पत्नी और मेरे माता-पिता घर पर थे जीवन मेरे ही गांव का है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। जीवन ने मेरी पत्नी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। न ही कोई जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां दी थी। जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे किसी घटना के बारे में नहीं बताया था। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं अपना नाम लिखना जाती है। मेरी पत्नी के थाने पर एक कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। उस पर क्या लिखा था पढ़कर नहीं सुनाया था। मुझसे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन के निवेदन इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

14- अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू-3 हरकिशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- अब से लगभग 10 माह पहले जब मेरा लडका भटटे पर मजदूरी करने गया था और उसकी घर वाली घर पर सोई हुयी थी तो इस दिन रात को लगभग 10 बजे हमारे घर में जीवन नही घुसा था न ही जीवन ने भूमी के साथ बलात्कार किया था न ही मैंने व परिवार के लोगों ने हमारे घर या भूमि के कमरे से जीवन को भागते देखा था भूमि ने मुझे कोई बात नही बतायी थी पुलिस ने मुझसे कोई पुछताछ नहीं की थी।

अभियोजन के निवेदन इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

15- अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू-4 किशनवती ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- अब से लगभग 10 माह पहले जब मेरा लडका भटटे पर मजदूरी करने गया था और उसकी घर वाली घर पर कमरे में सोई हुयी थी और मैं वरामदे में सोई हुयी थी। उस दिन रात को लगभग 10 बजे मेरे घर मे कोई नही घुसा था जीवन को मैं भलीभाँति जानती पहचानती हैं उसने मेरे घर में घुसकर भूमी के साथ बलातकार की कोई घटना नहीं की मेरे परिवार के लोगो ने हमारे घर या भूमी के कमरे से जीवन को भागते नहीं देखा था न ही मेरी पुत्र वधू ने बताया था कि जीवन को मैंने भूमी के कमरे में गलत काम करते देखा है। न ही

भूमि ने मुझे कोई बात बतायी थी मुझे आखों से कम दिखायी देता है। पुलिस ने मुझसे कोई पुछताछ नहीं की थी।

अभियोजन के निवेदन इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

16- अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू-5 चिकित्साधिकारी डॉ0 जयश्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि- दिनांक 02.04.2026 को मैं महिला चिकितसाधिकारी सी०एच०सी० रहरा पर तैनात थी, उस दिन महिला कां0 699 ज्योति थाना रहरा भूमी को लेकर चिकित्सिय परीक्षण को लेकर आयी थी पीडिता की सहमति से मेरे द्वारा समय 10.50 ए०एम० पर चिकित्सिय परीक्षण किया गया था। परीक्षण का विवरण निम्न प्रकार है।

सामान्य परीक्षण -मेडिकल के समय पीडिता की स्थिति सामान्य थी। सारे वाइटल्स सामान्य थे। आखिरी मासिक धर्म 29.03.2025 को आया था यह पीडिता द्वारा बताया गया था।

वाहरी परीक्षण- मेडिकल के समय पीडिता के बाहरी शरीर पर कोई भी चोट या घाव के निशान मौजूद नहीं थे।

आन्तरिक परीक्षण- मेडिकल के समय पीड़िता के आन्तरिक भाग पर कोई भी चोट मौजूद नहीं थी। हाइमन पुराना टूटा हुआ घाव भरा हुआ था। पीडिता का एक वेजाइनल स्वैव स्लाइड 03 एम०एल० रक्त नमूना मोहर बनाकर डी०एन०ए० व शुक्राणु परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला मुरादाबाद भेजी गयी । पीडिता का प्रेग्नेसी टेस्ट युरिन किट द्वारा कराया था जोकि निगेटिव पाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट मेरे हस्त लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली पर मौजूद है, साबित करती हूं और जिस पर **प्रदर्श क 3** डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मेरे द्वारा आख्या तैयार की गयी थी जिसमें पीडिता की आयु 18 वर्ष पायी गयी। उक्त पूरक आख्या मेरे द्वारा तैयार की गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे मैं साबित करती हूं और जिस पर **प्रदर्श क 4** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

17- अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-6 अल्का ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैने अपनी वेटी भूमी की शादी गांव ढकिया खादर में राजू पुत्र हरकिशन के साथ की थी, मेरे दामाद राजू भटटे पर मजदूरी का काम करते हैं, दिनांक 31.03.2024 को मैं अपने घर दिल्ली में मौजूद थी, मेरी बेटी भूमी ने राजू के दोस्तो के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मेरी बेटी भूमी के साथ कोई गलत काम किया हो तो मुझे नहीं पता, नहीं किसी ने मुझे बताया था। मैं जीवन नाम के व्यक्ति को न ही जानती हूं, न ही पहचानती हूँ। मैं जब भी अपनी बेटी के घर रही तो मेरे सामने मेरी बेटी के साथ कोई किसी प्रकार की घटना कारित नहीं हुयी थी पुलिस ने मुझसे कोई पुछताछ नहीं की थी।

18- दौराने बहस अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि घटना कि तिथि को अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीडिता के घर मे घुसकर गृहअतिचार कारित करते हुए उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार/बलात्संग किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया तथा अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए ये सब अपराध कारित किया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घटना कथानक का समर्थन किया है तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना की पुष्टि होती है। अतः अभियोजन अपने मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदानुसार अभियुक्त दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने घटना कारित नहीं की है बल्कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों से घटना का समर्थन नहीं होता है। जहां तक अभियोजन प्रपत्रों की मौलिका स्वीकार किये जाने का प्रश्न है तो केवल इससे ही मामला साबित नहीं होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदानुसार अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

20- अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस/तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

21- अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या घटना कि तिथि को अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीडिता के घर मे घुसकर गृहअतिचार कारित करते हुए उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार/बलात्संग किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भयक्रांत किया तथा अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए ये सब अपराध कारित किया? जिसे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है।

22– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–1 पीड़िता/वादिनी मुकदमा ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तहरीर एवं स्वयं के बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. को साबित किया है लेकिन घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है और अभियोजन की ओर से जब इससे जिरह की गयी तो इसने स्वयं के 180 BNSS का बयान को पुलिस के दवाब में आकर देना बताते हुए कथन किया है कि "आज जो बता रही हूँ वह सही है। मेरे पति सुबह 07:00

बजे काम पर जाते हैं और दोपहर 12:00 बजे लौट कर आते है। वह रात में कभी कभी भट्टे पर मजदूरी के लिए जाते है। मेरे गांव के जीवन का मेरे घर पर आना जाना नहीं है। फोन पर भी मेरी जीवन से कोई बातचीत नही होती। मेरे पति का जीवन से कोई दोस्ताना–याराना मेरे सामने नही रहा है, मेरी शादी से पहले जीवन का मेरे पति के साथ कोई दोस्ताना याराना रहा हो तो मुझे इस बात की जानकारी नही है। मेरे पति का जीवन के साथ खाना–पीना नही है। मेरी माँ का घर दिल्ली में है। मेरी शादी को चार वर्ष पूर्ण हो चुके है। सुमित चौधरी को मैं नहीं जानती। मेरे गांव में रहते हुए मुझे इसकी कोई जानकारी नही है। तहरीर सुमित चौधरी ने लिखी हो मुझे इस बात की जानकारी नही है। जीवन हमारे घर से 500–600 मीटर दूर रहते है। हमारे घेर जीवन के घर के पास में ही है। मुझे इस बात की जानकारी है कि जीवन इस मुकदमें में अभी भी जेल में है। मेरे खाते में समाज कल्याण विभाग से कोई पैसा नही आया। मेरे गांव में मेरी बात को लेकर कोई पंचायत नही हुई। यह कहना गलत है कि घटना मेरे साथ घटित हुई हो और मैं न्यायालय को सही बात न बता रही हूँ। यह कहना भी गलत है कि मैं अभियुक्त से हमसाज होकर उसे जेल से निकालने के लिए आज झूठी गवाही दे रही हूँ।

इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है। यहां तक की इसने दौरान जिरह घटना की तहरीर सुमित चौधरी द्वारा लिखी होने की बात की जानकारी से भी इंकार किया है और प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त जीवन ने उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नही की है। अतः अभियोजन उक्त साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

23– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–2 राजू जो कि पीड़िता का पति है ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है और अभियोजन की ओर से जब इससे जिरह की गयी तो इसने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. से इंकार करते हुए यह कथन किया है कि "मैं सुबह भटटे पर मजदूरी करने 4.00 बजे चला जाता था, जब मैं काम से लौटकर घर आता था तो मेरी पत्नी से बात होती थी, तब वह मुझे घर की बात बताती थी, लोगों चढाये व सिखाये में आकर मैं अपनी पत्नी के साथ थाने चला गया था, थाने पर जब तहरीर दी गयी थी वह मुझे पढकर नही सुनायी गयी थी, मेरी पत्नी ने मेरे सामने ही एक खाली पेपर पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे, जब मैं रात में काम पर रहरा गया

था तो मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ एक कमरे में रहते थे, मेरी पत्नी ने कभी भी जीवन की कोई शिकायत मुझसे नही की और जीवन से मेरा कोई विवाद नही रहा है। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी ने मुझसे सारी घटना बतायी हो और मैं आज न्यायालय में सही बात नही बता रहा हूॅ।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है और दौरान जिरह अभियोजन अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान से भी इंकार किया है तथा दौरान जिरह अभियोजन इसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना की जो तहरीर थाने पर दी थी वह उसे पढकर नही सुनायी थी और उसकी पत्नी ने कभी भी जीवन की उससे कोई शिकायत नही की थी। अतः अभियोजन इस साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

24– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–3 हरकिशन जो कि पीड़िता का ससुर है ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है और अभियोजन की ओर से जब इससे जिरह की गयी तो इसने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. से इंकार करते हुए यह कथन किया है कि "अभियुक्त जीवन मेरी जाति का है और मेरे ही गांव का है। अभियुक्त जीवन हमारे कुटुम्ब का है। अभियुक्त जीवन से हमारा कोई समझौता नही हुआ है, हमारी बिरादरी की कोई पंचायत नही हुई थी। भूमि ने मुकदमा जीवन के विरूद्ध क्यो लिखा दिया था इस बात की कोई जानकारी नही है। यह कहना गलत है क्योकि अभियुक्त जीवन मेरे कुटुम्ब का है इस कारण हमारे रिश्तेदारो ने हमारा फैसला करा दिया हो और इस बजह से आज अभियुक्त जीवन को बचाने के लिये झूठा बयान न्यायालय में दे रहा हूँ।"

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है और दौरान जिरह अभियोजन अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान से भी इंकार किया है तथा दौरान जिरह अभियोजन यह स्वीकार किया है कि भूमि ने मुकदमा जीवन के विरूद्ध क्यो लिखा दिया था इस बात की कोई जानकारी नही है। अतः अभियोजन इस साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

25– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–4 किशनवती जो कि पीड़िता की सास है ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है और अभियोजन की ओर से जब इससे जिरह की गयी तो इसने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. से इंकार करते हुए यह कथन किया है कि "जीवन मेरी जाति का है और मेरे ही गांव का है। जीवन हमारे गांव का रहने वाला है। जीवन से हमारा कोई समझौता नही हुआ है, हमारी बिरादरी की कोई पंचायत नही हुई थी। भूमि ने मुकदमा जीवन के विरूद्ध क्यों लिखा दिया था इस बात की कोई जानकारी नही है। यह कहन गलत है कि अभियुक्त जीवन मेरे गांव का है इस कारण हमारे रिश्तेदारों ने हमारा फैसला करा दिया हो और इस बजह से आज अभियुक्त जीवन को बचाने के लिये झूठा बयान न्यायालय में दे रही हूँ।''

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है और दौरान जिरह अभियोजन अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि "अभियुक्त जीवन ने वादिनी भूमि के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही की थी। मैनें जीवन को अपने घर आते हुये कभी नही देखा।" अतः अभियोजन इस साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

26– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–6 अल्का जो कि पीड़िता की माता है ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है और अभियोजन की ओर से जब इससे जिरह की गयी तो इसने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. से इंकार करते हुए यह कथन किया है कि "भूमि ने मुकदमा जीवन के विरूद्ध क्यो लिखा दिया था इस बात की मुझे कोई जानकारी नही है। मेरे चार बच्चे हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ दिल्ली में ही रहते हैं। मैं जब भी अपनी बेटी की ससुराल ढकिया खादर रही थी तो मुझे जीवन नाम के व्यक्ति को नहीं देखा है। मेरे दामाद राजू काम से घर से कई कई हफ्ते बाहर मजदूरी पर रहते थे, इस बीच मेरे बेटी के सास ससुर उसके घर रहते थे। मेरी बेटी से जब भी मेरी बात हुयी तो मुझे कभी भी किसी घटना के बारे में नही बताती थी। यह कहन गलत है कि अभियुक्त जीवन को जानती हूं इस कारण हमारे रिश्तेदारों ने हमारा फैसला करा दिया हो और इस बजह से आज अभियुक्त जीवन को बचाने के लिये झूठा बयान न्यायालय में दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय मैं गवाही मुल्जिमानो के साथ आकर उनके कहे अनुसार दे रही हूँ।'' मैं न्यायालय से सुचना प्राप्त होने पर वयान दे रही हूँ

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना कथानक का कोई समर्थन नही किया है बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है और दौरान जिरह अभियोजन अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि "अभियुक्त जीवन ने मेरी पुत्री भुमि के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की।" अतः अभियोजन इस साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

27– अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू–5 डा0 जयश्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता का मेडिकल किया जाना स्वीकार करते हुए पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट को साबित किया है और प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि ''पीड़िता भूमि के बाहरी व आंतरिक कोई चोट नही पायी गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ बलात्संग किये जाने की कोई पुष्टि नही होती है। अतः अभियोजन इस साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से घटना कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

निर्णय विधि **गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट द्वारा श्री रामपुरम पी0 एस0 एवं एक अन्य 2012 (78) ए0 सी0 सी0 545** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ''जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध को युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करें। अभियोजन द्वारा अपने कथानक को युक्ति संदेह से परे साबित करना होता है परंतु प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपने कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

28– जहां तक अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किये जाने का प्रश्न है। चूंकि तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का साक्ष्यिक महत्व शून्य हो जाता है।

29– उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो तथ्य के साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं उनके द्वारा कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि इनकी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना संदेह के घेरे में है। पत्रावली पर अन्य ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियोजन कथन पर विश्वास किया जा सकें। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त जीवन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 333, 64, 351(2) बी.एन.एस. व 3(2)5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तदानुसार अभियुक्त उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण सं0–363/2025, मु0अ0सं0–60/2025, थाना रहरा, जिला अमरोहा के मामले में अभियुक्त जीवन को धारा 333, 64, 351(2) बी.एन.एस. व 3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामों को निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437(ए.)दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अंकन– 20,000 रू0 का व्यक्तिगत बंधपत्र व एक प्रतिभू अंदर एक सप्ताह का दाखिल करें जो अपील होने की अवधि या 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें।

दिनांक–07.08.2026

(नसीमा खानम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
अमरोहा।

आज मेरे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–07.08.2026

(नसीमा खानम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
अमरोहा।